

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

ज्ञापक-8/विविध 2029 भू-राजस्व वार्षिक आव-24-21/11-

(8)/रा0, पटना-15, दि0- / /2017

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय - मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-0001-बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत धार्मिक एवं दातव्य न्यासों की देय शास्वत वार्षिकी-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मॉग सं0-40, विपत्र कोड-40 2029008000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रू0 2,43,549/- (दो लाख तैतालीस हजार पाँच सौ उनचास) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय लोकायुक्त न्यायालय में ट्रस्ट को भुगतान से संबंधित विचाराधीन वाद में भोजपुर, आरा जिला से प्राप्त अधियाचना के आधार पर व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	जिला का नाम	अधियाचना सं0 एवं तिथि	जिला द्वारा अधियाचित राशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	भोजपुर, आरा	543 दि0-29.03.2017	243549	243549.00
कुल योग:-				243549.00

(दो लाख तैतालीस हजार पाँच सौ उनचास) मात्र।

- अधियाचित राशि के 50 पैसे से कम/अधिक राशि को एक रूपये के पूर्णांक में परिगणित कर तदनु रूप स्वीकृत राशि अंकित की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायगा।
- उक्त राशि मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-0001-बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत धार्मिक एवं दातव्य न्यासों की देय शास्वत वार्षिकी-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मॉग सं0-40, विपत्र कोड-40-2029008000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय होगी।
- उक्त स्वीकृत राशि के निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित जिले के समाहर्ता होंगे तथा राशि की निकारी सम्बन्धित जिला के जिला कोषागार से होगी।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561(पी0)(2) दिनांक-17.04.1998 एवं इस प्रसंग में निर्गत वित्त विभागीय पत्र सं0-3002 दिनांक-26.04.17 के आलोक में किया जायेगा।

कृपु0उ0

7. राशि का भुगतान बैकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धितों को भुगतान किया जायगा।
8. राशि की निकासी BTC-42 में की जाएगी तथा व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र 18 (अटारह) माह के अंदर विहित प्रपत्र BTC-42A में निश्चित रूप से समायोजन महालेखाकार कार्यालय, पटना से कराया जाय।
9. इस स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
10. इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(प्रवीण कुमार झा),  
सरकार के विशेष सचिव।

**FAX**  
**e-mail**

ज्ञापांक:-8/विविध 2029 भू-राजस्व वार्षिक आवं-24-21/11- ~~471~~ (8)/रा0, पटना-15, दि0- 15/6 /2017  
प्रतिलिपि-वित्त विभाग, बिहार, पटना/समाहर्ता, आरा, भोजपुर/कोषागार पदाधिकारी, आरा,  
भोजपुर/प्रशाखा-05(बजट शाखा) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

  
(प्रवीण कुमार झा),  
सरकार के विशेष सचिव।